मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा २ में, खण्ड (क-दो)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क-दो) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक अथवा सोसाइटी अथवा सोसाइटी के उसी वर्ग के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा;".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ५ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के कतिपय उपबंधों के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ अनुभव की गई हैं. अतएव, अधिनियम को यथोचितरूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं :—

खण्ड २—धारा २ में दी गई "प्रशासक" की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, ताकि रजिस्ट्रार, प्रशासक के रूप में, शासकीय सेवकों के साथ-साथ किसी सोसाइटी के किसी पात्र सदस्य को भी नियुक्त कर सके.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ५ सन् २०१७) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अतएव, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : नवम्बर, २०१७.

विश्वास सारंग
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के सम्बन्ध में विवरण

प्रदेश में ४० हजार से अधिक सहकारी संस्थाऐं पंजीकृत हैं तथा सहकारी अधिनियम की धारा-४९ (७-क) के खण्ड ''ख'' के प्रावधान अनुसार संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के दिनांक पर एवं नवीन निर्वाचन नहीं हो पाने के कारण रजिस्ट्रार द्वारा ''प्रशासक'' की नियुक्ति की जाती है. शासकीय सेवक को ही ''प्रशासक'' बनाये जाने के प्रावधान होने से पर्याप्त संख्या में प्रशासकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० की धारा-२ में दी गयी ''प्रशासक'' की परिभाषा के दायरे को बढ़ाकर ''प्रशासक'' के रूप में शासकीय सेवक के साथ-साथ सोसाइटी के पात्र सदस्य को भी प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रावधान किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१७ को विधान सभा के माह जुलाई २०१७ सत्र में पुर:स्थापन करने की अनुमति के लिए विधान सभा को सूचना दी गई थी.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१७ (क्रमांक २२ सन् २०१७) दिनांक २६ जुलाई २०१७ को पुर:स्थापित किया गया था. विधान सभा सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो जाने से विधेयक पारित नहीं हो सका.

३. अत: तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश २०१७ (क्रमांक ५ सन् २०१७) प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * * * *

धारा २ (क-दो)—''प्रशासक'' से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिये रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा.

* * * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.